राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–श्री सुखाराम पिण्डेल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या– 42/2021
जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2021/81
दायर दिनांक– 07.07.2021
निर्णय दिनांक– 05.01.2024

1. श्रीमती सायरी पत्नि रामेश्वर
2. श्रीमती नाथी पुत्री रामेश्वर
3. श्रीमती नारंगी पुत्री रामेश्वर
4. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर
5. श्रीमती सुरज्ञान पुत्री रामेश्वर

सर्वजाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादीगण

बनाम

1. सेदूराम पुत्र जगरूप
2. लक्ष्मण पुत्र जगरूप
3. रामलाल पुत्र जगरूप
4. श्रीमती कमला पत्नि जगरूप
5. श्रीमती लाली पत्नि चन्दाराम
6. कालू पुत्र चन्दाराम

सर्वजाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

.....प्रतिवादीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–:1. श्री हनुमान प्रसाद शर्मा, शांतिलाल ढेल अधि0 वादीगण
2 श्री प्रतीक मेहता अधि0 प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि आराजी खाता संख्या 1448 के ख0न0 551 रकबा 0.8251 हैक्ट0 ग्राम सुरसुरा पटवार हल्का सुरसुरा तहसील रूपनगढ जिला अजमेर में स्थित है, जिसमें वादीगण का राजस्व रिकार्ड अनुसार प्रत्येक का हिस्सा निहित है। वादीगण की उक्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा, अधिकार या लेना–देना नहीं है एवं ना ही प्रतिवादीगण, वादीगण के पड़ौसी खातेदार है। वादीगण की उक्त आराजी भूमि में वादीगण के उपयोग, उपभोग में बाधाकारित करने या वादीगण को बेदखल करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण की नियत वादीगण को बलात बेदखल कर भूमि पर कब्जा करने की है। वादीगण की वाद वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण कब्जा करना चाहते करते है, वादीगण को काश्त नहीं करने की एलानियां धमकी देते है। प्रतिवादीगण आये दिन वादीगण की कृषि भूमि के उपयोग व उपभोग में बाधा उत्पन्न करते है। वादीगण की ओर से निवेदन है कि प्रतिवादीगण के इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किया जावे कि प्रतिवादीगण उनके परिवारजन, सगे–संबंधी, एजेन्ट वादीगण की खातेदारी भूमि के कब्जे, काश्त के उपयोग, उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे व किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करें

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:29 IST
Reason: SelfAttested

05/01/24
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी जरिये सम्मन की गयी। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता उपस्थित । प्रतिवादीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाव वन्द किया गया। वादीगण की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी0पी0सी पेश किये गये, जिन पर वादीगण के बयान दर्ज किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से किसी प्रकार का कोई साक्ष्य पेश नहीं किया गया। अतः प्रतिवादी साक्ष्य बंद किया गया।

प्रकरण में वकील वादी की बहस सुनी गयी। वकील वादी ने अपनी वहस में निवेदन किया कि वादीगण की वाद वर्णित खातेदारी भूमि में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का कोई हक, अधिकार व स्वत्व नहीं है। प्रतिवादीगण वाद वर्णित भूमि में वादीगण के कब्जे, काश्त व उपयोग–उपभोग में बाधाकारित उत्पन्न करते है, इसलिए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है ताकि वादीगण के खातेदारी अधिकार सुरक्षित रहें।

हमने पत्रावली का अध्ययन व दस्तावेजो का अवलोकन किया एवं वकील वादीगण की बहस पर मनन किया। वकील वादी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा– 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के खाता संख्या 1448 के ख0न0 551 रकबा 0.8251 हैक्ट0 भूमि में प्रतिवादीगण व उसके परिजन, नौकर चाकर, एजेन्ट को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

निर्णय आज दिनांक 05.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:29 IST
Reason: SelfAttested

डिकी

आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम रूपनगढ़ (अजमेर)

व इजलास–श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 42/2021

1. श्रीमती सायरी पत्नि रामेश्वर
2. श्रीमती नाथी पुत्री रामेश्वर
3. श्रीमती नारंगी पुत्री रामेश्वर
4. सत्यनारायण पुत्र रामेश्वर
5. श्रीमती सुरज्ञान पुत्री रामेश्वर

सर्वजाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

....वादीगण

बनाम

1. सेठूराम पुत्र जगरूप
2. लक्ष्मण पुत्र जगरूप
3. रामलाल पुत्र जगरूप
4. श्रीमती कमला पत्नि जगरूप
5. श्रीमती लाली पत्नि चन्दाराम
6. कालू पुत्र चन्दाराम

सर्वजाति कुम्हार, निवासीगण ग्राम सुरसुरा तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर .

.....प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

यह मुकदमा आज जरिये इजलास कतई रू–ब–रू श्री सुखाराम पिण्डेल आर.ए.एस. व हाजरी वादीगण मिनजानिब मुद्दई व प्रतिवादीगण मिनजानिब मुद्दयलाह पेश होकर डिकी किया जाता है कि वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर ग्राम सुरसुरा के खाता संख्या 1448 के ख0न0 551 रकबा 0.8251 हैक्ट0 भूमि में प्रतिवादीगण व उसके परिजन, नौकर चाकर, एजेन्ट को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी भूमि के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे।

असप्त मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से आज दिनांक 05.01.2024 को जारी की गई।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.01.11 13:24:29 IST
Reason: SelfAttested

सुखाराम पिण्डेल
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अ. रूपनगढ़ (अजमेर)